

SUMMARY TRIAL UNDER SECTION 263 OR 264 OF THE  
CRIMINAL PROCEDURE CODE, 1898

In the court of . प्रतिष्ठा अवस्थी जे.एम.एफ.सी.गोहद

प्रकरण क्रमांक 05/2017

Name and address of the complain म0प्र0 शासन द्वारा पुलिस थाना गोहद जिला प्रशासन  
भिण्ड म0प्र0 ण

name, parentage, caste and address of accused-

नाम-बंटी पुत्र नाथूराम उम्र 30 वर्ष निवासी नूरगंज गोहद,जिला भिण्ड.

The offence complained of, and date of its alleged commission ----

1. यह कि आपने दिनांक 10/1/17 को 20:10 बजे बस स्टेण्ड गोहद में अपने आधिपत्य के आटो क्रमांक एम.पी.30 आर-1409 को शराब पीकर मत्त अवस्था में चलाया ।

2. यहकि आपके पास उक्त दिनांक समय व स्थान पर आटो क्रमांक एम.पी.30 आर 1409 को चलाने का ड्रायविंग लाईसेंस नहीं था ।

तुम्हारा उपरोक्त कृत्य मोटरयान अधिनियम की धारा 185 एवं [3/181](#) के अंतर्गत दण्डनीय होकर इस न्यायालय के संज्ञान में है । स्पष्ट करो अपराध स्वीकार है या विचारण चाहते हों ।

The plea of the accused and his examination [if any]--

आरोपी का अभिवाक-

The offence proved, if any in, case under clause (d), clause (e), clause (f) or clause (g), of sub-section (1) of section 260, the value of the property in respect of which the offence has been committed.

## // निर्णय //

(आज दिनांक 13/1/2017 को पारित किया गया)

1. अभियुक्त को मोटरयान अधिनियम की धारा 185 एवं 3/181 के अपराध की विशिष्टियां पढ़कर सुनायी एवं समझायी जाने पर उसने अपराध करना स्वेच्छा पूर्वक स्वीकार किया है आरोपी की स्वेच्छा स्वीकृति पर अविश्वास किये जाने का कोई कारण प्रतीत नहीं होता है अतः उक्त स्वेच्छा स्वीकृति के आधार पर उसे मोटरयान अधिनियम की धारा 185 एवं 3/181 के अंतर्गत दोषसिद्धि ठहराया जाता है।
2. अभियुक्त के प्रथम अपराध होने एवं प्रकरण के तथ्य व परिस्थितियों को देखते हुए उसे न्यायालय उठने तक की सजा एवं अर्थदण्ड अधिरूपित करने से ही न्याय के उद्देश्यों से ही पूर्ति हो सकती हैं।
3. फलस्वरूप आरोपी को मोटरयान अधिनियम की धारा 185 के अंतर्गत 1000/-रुपये के अर्थदंड एवं अर्थदंड की राशि में व्यतिक्रम होने पर 15 दिवस के साधारण कारावास तथा धारा 3/181 के अंतर्गत 500/-रुपये के अर्थदंड तथा अर्थदंड की राशि में व्यतिक्रम होने पर 07 दिवस के साधारण कारावास के दंड से दंडित किया जाता है।
4. आरोपी स्वतंत्र हो।
5. जप्तशुदा वाहन उसके पंजीकृत स्वामी को वापिस किया जावे।

स्थान-गोहद

दिनांक-13/01/17

निर्णय आज दिनांकित एवं

हस्ताक्षरित

सही/-

(प्रतिष्ठा अवस्थी)  
जेएमएफसी गोहद

मेरे निर्देशानुसार टंकित

सही/-

(प्रतिष्ठा अवस्थी)  
जेएमएफसी गोहद